संख्या-119/2017/105/22-2-2017-17(270)/2006

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 27 फरवरी, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गोवर्धन पुत्र श्री देवतादीन, निवासी-जनपद-फतेहपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2390/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक&04-01-2017 दिनांक 25.01.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गोवर्धन पुत्र श्री देवतादीन, निवासी-लखपुरा, थाना-हुसेनगंज, जिला-फतेहपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद में दिनांक 26.09.1979 को 07 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, फरसा व लाठी से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-445/1980 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर द्वारा दिनांक 30-07-1981 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं0-1701/1981 योजित की गयी। उक्त अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.08.2004 द्वारा धारा-302/149 के अन्तर्गत दिये गये आजीवन कारावास को धारा-302/34 में परिवर्तित करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी के 05 सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 01 सहअभियुक्त की मृत्यु तथा 01 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहा है। बन्दी द्वारा दिनांक 24.09.2016 तक 12 वर्ष 00 माह 01 दिन की अपरिहार एवं 14 वर्ष 06 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च नयायालय में योजित जनहित याचिका सं0-46005/2016 शिवकुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व 3 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2016 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी गोवर्धन (बन्दी संख्या-485/05) पुत्र श्री देवतादीन, निवासी-जनपद-फतेहपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-119/2017/105/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी इलाहाबाद।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।